



का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अयोध्या

दिनांक: 15 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के अन्तर्गत जेन्डर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेन्स्ट सेक्सुएल हैरसमेन्ट (GSCASH) भी गठित की जाती है, जिसको पीड़ित छात्रा/महिला अपने साथ घटित या सम्भावित घटना की सूचना समिति के संयोजक या किसी सदस्य को देगी, जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगी। अध्यक्ष प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए समिति की बैठक बुलाएंगी और आवश्यकतानुसार छात्रा/महिला को भी समिति के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगी। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए समिति ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी जैसी वह उचित समझे। समिति को अधिकार होगा कि वह दोनों पक्षों को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी करे और सुनवाई के उपरान्त अपने सुझाव प्राचार्य को प्रेषित करे। प्राचार्य समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

समिति में निम्नलिखित सदस्य योगदान देंगे।

1. डॉ० उपमा वर्मा, संयोजक
2. डॉ० मंजूषा मिश्रा
3. डॉ० रीना पाठक
4. डॉ० प्रतिभा सिंह, (रसायन विभाग)
5. डॉ० निधि मिश्रा
6. सुश्री अंजू
7. डॉ० शशि सिंह
8. डॉ० प्रियंका सिंह (कैटलागर)
9. शोध छात्रा
10. परास्नातक छात्रा
11. स्नातक छात्रा

महिला प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा संस्तुत एवं प्राचार्य द्वारा अनुमोदित छात्रायें समिति की सदस्य होगी।


डॉ० (अभय कुमार सिंह)
प्राचार्य

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य नियन्ता
2. छात्र कल्याण अधिकारी
3. प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ
4. बेवसाइट प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को महाविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें।
5. मीडिया प्रभारी/जन सम्पर्क अधिकारी
6. महाविद्यालय वाट्सएप ग्रुप एडमिन।
7. पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

प्राचार्य